अध्याय-16

दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि तथा अन्य उल्लेख

सदन में यह सामान्य परम्परा है कि आसीन सदस्यों, मंत्रियों, भूतपूर्व सदस्यों, विशिष्ट तथा विख्यात व्यक्तियों, राष्ट्रीय नेताओं और देश के सार्वजनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और मित्र देशों के अध्यक्षों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और त्रासद घटनाओं, जिनमें जान-माल की क्षति अंतर्ग्रस्त हो, के बारे में भी सदन में उल्लेख किया जाता है। विशिष्ट उपलब्धियों, महत्त्वपूर्ण घटनाओं, स्मरणीय दिवसों और गंभीर अवसरों पर भी सदन में साधुवाद दिया जाता है, अभिनन्दन किया जाता है और बधाइयां दी जाती हैं।

(क) दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि

सामान्य प्रक्रिया

13 नवम्बर, 1972 तक सदस्यों, मंत्रियों आदि के निधन पर उन्हें प्रश्न-काल के बाद श्रद्धांजलि दी जाती थी। 1972 में सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने मंत्रियों, आसीन सदस्यों, राष्ट्रीय नेताओं और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और सदन को स्थगित करने के बारे में तत्कालीन प्रथा पर विचार करने के बाद निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

"(i) राज्य सभा के आसीन सदस्य की मृत्यु के मामले में दिल्ली में मृत्यु होने पर सभा को दिन-भर के लिए स्थगित करने की वर्तमान प्रथा को जारी रखा जाए ताकि सदस्यगण अंत्येष्टि में या पार्थिव शरीर को दिल्ली से बाहर ले जाए जाने में भाग ले सकें।

(ii) किसी मंत्री की मृत्यु के मामले में जो मृत्यु के समय राज्य सभा का सदस्य नहीं हो और जिसकी मृत्यु दिल्ली में हुई हो, सभा को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए ताकि सदस्यगण अंत्येष्टि में या पार्थिव शरीर को दिल्ली से बाहर ले जाए जाने में भाग ले सकें।

(iii) किसी राष्ट्रीय राजनैतिक दल के नेता की मृत्यु के मामले में निम्नलिखित स्थितियों में सभा को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए: (क) दिवंगत नेता अपनी मृत्यु के समय लोक सभा का आसीन सदस्य था; (ख) उसके दल का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व हो और सभापति ने उसे सदन में एक दल या समूह के रूप में मान्यता दी हो; और (ग) मृत्यु दिल्ली में हुई हो (ताकि सदस्यगण अंत्येष्टि में या पार्थिव शरीर को दिल्ली से बाहर ले जाए जाने में भाग ले सकें)।

(iv) विशिष्ट व्यक्ति या राष्ट्रीय नेता या विदेश के उच्च पदस्थ व्यक्ति की मृत्यु के मामले में सभापति सभा के नेता के साथ परामर्श करके प्रत्येक मामले में यह निर्णय ले सकता है कि सभा को दिन-भर के लिए स्थगित किया जाए या नहीं।

(v) केवल सभापति द्वारा निधन का उल्लेख करने की वर्तमान प्रथा जारी रखी जानी चाहिए। किंतु विशेष अवसरों पर आम राय होने पर दलों/समूहों के नेताओं को दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने से रोका नहीं जाना चाहिए।

(vi) दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि सभा के समवेत होते ही अर्पित की जानी चाहिए''।[1]

ये सिफारिशें सदस्यों की सूचना के लिए संसदीय समाचार में अधिसूचित की गई थीं।[2]

किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मंत्री आदि के निधन के बारे में प्रेस समाचार के माध्यम से सूचना प्राप्त होने या किसी आसीन सदस्य, मृतक के किसी संबंधी या अन्य विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त होने पर सदन में यथाशीघ्र दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यदि कोई संदेह हो तो उल्लेख करने से पहले राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जिलाधीश जैसे समुचित अधिकारी से भी मृत्यु के समाचार की पुष्टि कराई जाती है।

> 23 मई, 1970 को दिन के बारह बजे से थोड़ा पहले एक सदस्य ने सूचित किया कि विधि मंत्री श्री पी॰ गोविन्द मेनन की हालत बहुत गंभीर है। एक अन्य सदस्य ने सूचना दी कि उनका निधन हो गया है। सभापति ने सचिव को पूछताछ करने का निदेश दिया। कुछ समय बाद मामला पुनः उठाया गया और सदस्यगण चाहते थे कि सभा स्थगित कर दी जाए। सचिव ने सभापति को सूचित किया कि प्रधान मंत्री सदन में आने वाली हैं। प्रधान मंत्री द्वारा समाचार की पुष्टि होने पर ही सभापति ने श्री मेनन के निधन का उल्लेख किया। इसके पहले उन्होंने कहा, ''जब तक मैं पुष्टि न कर लेता, तब तक मैं घोषणा कैसे कर सकता था?''[3]

> 17 अगस्त, 1990 को अपराह्न सवा पांच बजे एक सदस्य ने सदन को सूचित किया कि कलकत्ता में लोक सभा की एक भूतपूर्व महिला सदस्य एक नृशंस हमले में मारी गई हैं। वे चाहते थे कि उनके निधन पर शोक व्यक्त करके सदन को स्थगित कर दिया जाए। अधिकृत सूत्रों से इस समाचार की पुष्टि नहीं हुई। जब एक सदस्य ने अनुरोध किया कि निधन का समाचार देने वाले सदस्य कुछ और जानकारी दें तब उपसभाध्यक्ष ने कहा, ''सभा को विश्वास में लेने के मामले में सदन का कोई सदस्य सरकार के किसी सदस्य की भूमिका नहीं निभा सकता। अन्य कोई सूचना अनौपचारिक सूचना है।'' कुछ अनौपचारिक कार्य के बाद सभा स्थगित कर दी गई।[4] गलत सूचना देने का मामला 20 अगस्त, 1990 को सभा में उठाया गया और अंततः संबंधित सदस्य ने गलत सूचना देने के लिए माफी मांगी।[5]

यदि दिवस की कार्यावलि जारी करने से पहले यह मालूम हो जाता है कि सभा में दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है तो 13 नवम्बर, 1972 से चली आ रही प्रथा के अनुसार कार्यावलि में 'प्रश्नों' के पहले लेकिन 'शपथ अथवा प्रतिज्ञान' के पश्चात्, यदि कोई हो, 'दिवंगत (या दिवंगतों) के प्रति श्रद्धांजलि' शीर्षक के अंतर्गत एक प्रविष्टि की जाती है जिसमें मृतक के नाम का उल्लेख होने के साथ यह भी उल्लेख होता है कि मृतक आसीन सदस्य था या भूतपूर्व सदस्य था। विशेष रूप से सत्र के पहले दिन मृतकों की संख्या एक से अधिक होने पर कार्यावलि में उनके नामों का उल्लेख उनके निधन के क्रम में किया जाता है और बाह्य देशों तथा मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नामों का उल्लेख सबसे पहले किया जाता है।

> 23 जनवरी, 1980 की कार्यावलि में ''दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि'' शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन का नाम था और उनके बाद श्री जय प्रकाश नारायण और अन्य व्यक्तियों के नाम थे और इसी क्रम के अनुसार दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। अगले दिन सदन के एक सदस्य ने इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया और सुझाव दिया कि भविष्य में जब दिवंगत व्यक्तियों के उल्लेख पढ़े जाएं तब भारतीयों के नाम एक श्रेणी में और विदेशियों के नाम दूसरी श्रेणी में रखे जाने चाहिएं और भारतीयों के मामले में उनकी ख्याति के अनुसार नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। सभापति का कहना था, ''माननीय सदस्य ने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसे मैं भविष्य में ध्यान में रखूंगा। इस समय निधन के क्रम पर विचार किया गया था और उसी को अपनाया गया था।''[6]

जिस सदस्य या व्यक्ति के निधन के बारे में उल्लेख किया जाना होता है, यदि उसकी मृत्यु की सूचना कार्यावलि जारी करने के बाद मिलती है तो ऐसे उल्लेख के मामले में कार्य के ज्ञापन में, जो सभापीठ के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, एक प्रविष्टि की जाती है।

> भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री कृष्णकांत के निधन पर सदन में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने का 29 जुलाई, 2002 की कार्यावलि में उल्लेख नहीं था। तथापि, सभापीठ के उपयोग के लिए तैयार किये जाने वाले कार्य-ज्ञापन में इस बात की एक प्रविष्टि की गई थी।[7]

दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा कुछ क्षणों के लिए मौन धारण करती है और दिवंगत व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी सदस्य खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात् सभापति महासचिव को निदेश देता है कि सदन के शोक और संवेदना को शोक-संतप्त परिवारजनों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद जो भी निर्णय होता है उसके अनुसार सदन में प्रश्नों को लिया जाता है या सदन को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सभापति के निदेशानुसार दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को महासचिव के हस्ताक्षर से एक पत्र भेजा जाता है।

सामान्य प्रयोजन समिति की 9 दिसम्बर, 1998 को एक बैठक हुई। बाद में 28 जनवरी, 1999 के संसदीय समाचार भाग-2 में इसकी सूचना शामिल की गई। समिति ने इस बैठक में मंत्रियों, वर्तमान सदस्यों, राष्ट्रीय नेताओं और अन्य उत्कृष्ट व्यक्तियों के निधन पर सदन की बैठक स्थगित किये जाने और श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित उपान्तरण किये जाने की सिफारिश की:

(i) राज्य सभा के ऐसे वर्तमान सदस्य के मामले में जिसकी मृत्यु संसद् के सत्र के दौरान हो जाती है, सदन की बैठक मृत्यु हो जाने का संदेश मिलते ही या यदि संदेश देरी से मिले तो अगले दिन स्थगित की जायेगी।

(ii) अंतर्सत्रावधि के दौरान किसी वर्तमान सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, सदन की बैठक सत्र के पहले दिन, उस सदस्य के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात् स्थगित कर दी जायेगी।

(iii) ऐसे किसी मंत्री की मृत्यु हो जाने पर जो अपनी मृत्यु के समय राज्य सभा का सदस्य न हो और उसकी मृत्यु दिल्ली में हुई हो, सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित कर दी जानी चाहिए ताकि सदस्य उसकी अन्त्येष्टि में या उसके पार्थिव शरीर को दिल्ली से बाहर ले जाने में भाग ले सकें।

(iv) किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मुखिया की मृत्यु के मामले में यदि मृतक (क) अपनी मृत्यु के समय लोक सभा का सदस्य हो; (ख) उसके दल का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व हो और सभापति द्वारा उसे एक दल अथवा ग्रुप के रूप में मान्यता दी गई हो; और (ग) उसकी मृत्यु दिल्ली में हुई हो तो सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित की जानी चाहिये ताकि सदस्य उसकी अन्त्येष्टि में या उसके पार्थिव शरीर को दिल्ली से बाहर ले जाने में भाग ले सकें।

(v) किसी उत्कृष्ट व्यक्ति, अथवा राष्ट्रीय नेता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के मामले में सभापति सभा के नेता के परामर्श से प्रत्येक ऐसे मामले में यह निर्णय ले सकता है कि क्या सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित की जाये या न की जाये।

समिति ने यह और सिफारिश की कि दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि के उल्लेख सदन की बैठक के आरंभ होते ही किये जाने चाहिए।[8]

सदस्यों, मंत्रियों आदि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के संबंध में सामान्यत: उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। किन्तु, परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए भिन्न प्रक्रिया का भी अनुसरण किया गया है।

> एक बार राज्य सभा और लोक सभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री मेहर चंद खन्ना के दिल्ली में हुए निधन के बारे में 27 जुलाई, 1970 को उल्लेख किया गया। मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद सभा के पुन: समवेत होने पर एक सदस्य ने कहा कि श्री खन्ना की मृत्यु के कारण लोक सभा स्थगित हो गई है और इसलिए राज्य सभा को भी स्थगित हो जाना चाहिए। सभा के नेता का कहना था, ''...सदन की परम्परा है कि यदि वह इस सदन का सदस्य है और सत्र के दौरान उसका निधन हो जाता है तो सभा स्थगित हो जाती है। लोक सभा के अध्यक्ष का यह कथन है कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किंतु चूंकि सभी दलों के नेताओं ने सदन में अनुरोध किया, इसलिए सदन स्थगित कर दिया गया।'' राज्य सभा को स्थगित करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया।[9]

सत्र के पहले दिन सदन का स्थगित होना

सत्र के पहले दिन आसीन सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, मंत्रियों आदि की पिछले सत्रावकाश के दौरान हुई मृत्यु का उल्लेख किया जाता है। वर्ष 1999 से पहले सामान्यत: इसके बाद सदन स्थगित नहीं होता था, किन्तु वर्ष के प्रथम सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति के सभा पटल पर रखे जाने, दिवंगत या दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने और औपचारिक स्वरूप वाले कार्य के बाद सदन स्थगित हो जाता है। किंतु इसके अपवाद रहे हैं और अन्य सत्रों के पहले दिन भी दिवंगतों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदन स्थगित हुआ है। ऐसे दिवंगत व्यक्ति निम्नलिखित हैं: श्री रफी अहमद किदवई (खाद्य और कृषि मंत्री),[10] श्री एच॰ सी॰ दासप्पा (उद्योग और आपूर्ति मंत्री),[11] श्री डी॰ संजीवैय्या,[12] श्री भूपेश गुप्त,[13] श्री बीर बहादुर सिंह,[14] श्री एन॰ ई॰ बलराम[15] (ये सभी आसीन सदस्य थे); राष्ट्रीय नेता श्री जगजीवन राम,[16] भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह और श्री मोरारजी देसाई।[17] इन सभी का निधन तब हुआ जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था। ऐसे मामलों में सभापति दलों के नेताओं आदि की आम राय या सामान्य इच्छा के आधार पर निर्णय करता है।

एक उदाहरण ऐसा भी है जहां सत्र के पहले दिन एक आसीन सदस्य के निधन का उल्लेख नहीं किया गया और दूसरे दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद सभा दिन-भर के लिए स्थगित हो गई।

> आसीन सदस्य श्री दरबारा सिंह का 12 मार्च, 1990 को निधन हुआ और इसी दिन 153वें सत्र का आरंभ हुआ। अन्य दिवंगत व्यक्तियों के निधन का उल्लेख करने के बाद सभापति ने घोषणा की कि श्री दरबारा सिंह को 13 मार्च, 1990 को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तद्नुसार ऐसा किया गया और तत्पश्चात् सदन स्थगित हो गया।[18]

बाकी दिन के लिए सदन का स्थगित होना

यदि सदन की किसी बैठक के दौरान किसी सदस्य, मंत्री या किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन का समाचार प्राप्त होता है तो उस स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रथा यह है कि निधन का उल्लेख करने के लिए या शोक व्यक्त करने के लिए कार्यवाही को रोक दिया जाता है और उसके बाद सदन बाकी दिन के लिए स्थगित हो जाता है।

> 14 मार्च, 1961 को अपराह्न साढ़े तीन बजे के लगभग उपसभापति ने सदन को एक आसीन सदस्य श्री राम कृपाल सिंह के निधन के बारे में सूचित किया। सभापीठ द्वारा निधन का संक्षेप में उल्लेख किया गया और सदन के सदस्यों द्वारा मौन धारण किया गया। उसके बाद सदन अपराह्न 3 बजकर 32 मिनट पर बाकी दिन के लिए स्थगित हो गया।[19]

29 अप्रैल, 1969 को प्रश्न-काल के समाप्त होते ही सभापति ने उस दिन सवेरे हैदराबाद में सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री पी॰ एन॰ सप्रू के निधन का उल्लेख किया। इसके बाद सदन ने मौन धारण किया। एक सुझाव दिया गया कि ''इस महान आत्मा के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए'' सदन को मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद स्थगित कर दिया जाए। सभापति का सुझाव था कि सदन अपराह्न साढ़े तीन बजे स्थगित हो। अपराह्न चार बजे उपसभाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि संभावना है कि श्री सप्रू का पार्थिव शरीर अपराह्न साढ़े छह और सात के बीच दिल्ली पहुंचेगा और उन्होंने श्री सप्रू के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदन को अपराह्न 4 बजकर 2 मिनट पर स्थगित कर दिया।[20]

राज्य सभा की भूतपूर्व उपसभापति श्रीमती वायलेट आल्वा के निधन पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 20 नवम्बर, 1969 को सदन स्थगित कर दिया गया। उसके अतिरिक्त एक सदस्य के सुझाव पर 21 नवम्बर, 1969 को भी अपराह्न 2 बजकर 41 मिनट पर सदन को स्थगित कर दिया गया ताकि सदस्य उनकी अंत्येष्टि में भाग ले सकें।[21]

23 मई, 1970 को दोपहर बारह बजे के बाद प्रधान मंत्री ने सभा को सूचित किया कि श्री पी॰ गोविन्द मेनन का दिल्ली में देहान्त हो गया है। सभापति द्वारा श्री मेनन के निधन का उल्लेख किए जाने और सभा द्वारा मौन धारण किए जाने के बाद सभा को उस दिन अनियत तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि वह दिन 72वें सत्र का अंतिम दिन था।[22]

23 नवम्बर, 1977 को जब सदन मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद पुन: समवेत हुआ तब रेल मंत्री ने अहमदाबाद-दिल्ली मेल के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य देते हुए सभा को यह भी सूचित किया कि मृतकों में सदन के आसीन सदस्य श्री प्रकाश वीर शास्त्री भी थे। उपसभापति द्वारा उनके निधन का उल्लेख किए जाने और मौन धारण किए जाने के बाद सदन अपराह्न 2 बजकर 9 मिनट पर बाकी दिन के लिए स्थगित हो गया।[23]

8 दिसम्बर, 1981 को अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट पर उपसभापति ने सदन को सूचित किया कि संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कार्तिक ओरांव का देहान्त हो गया है। सभा ने मौन धारण किया और वह अपराह्न 12 बजकर 21 मिनट पर स्थगित हो गई।[24]

कभी-कभी सदन किसी सदस्य या मंत्री के निधन का समाचार मिलते ही स्थगित हो गया और दिवंगत को अगली बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

13 अगस्त, 1963 को अपराह्न 3 बजकर 42 मिनट पर उपसभाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उस दिन थोड़ी देर पहले सदन के आसीन सदस्य श्री सत्यचरण शास्त्री का देहान्त हो गया है। सदन बाकी दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और शास्त्री जी को अगले दिन श्रद्धांजलि दी गई।[25]

27 मई, 1964 को सदन के समवेत होते ही वित्त मंत्री (श्री टी॰ टी॰ कृष्णमाचारी) ने सदन को सूचित किया कि प्रात: 6 बजकर 25 मिनट पर प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रश्न-काल के समाप्त होने पर एक सदस्य ने सभापति से अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य-लाभ के लिए उन्हें सदन की शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं भेजी जाएं। मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद अपराह्न ढाई बजे इस्पात, खान और भारी इंजीनियरी मंत्री (श्री सी॰ सुब्रह्मण्यम्) ने प्रधान मंत्री के निधन की दु:खद सूचना दी। सदन बाकी दिन के लिए स्थगित हो गया और 29 मई, 1964 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।[26]

27 अप्रैल, 1992 को अपराह्न में यह समाचार मिला कि उस दिन सदन के आसीन सदस्य श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी का पुणे में निधन हो गया है। सदन को तुरंत स्थगित करने की मांग की गई। उपसभाध्यक्ष ने परामर्श के लिए सदन को स्थगित कर दिया। सदन लगभग एक घंटे बाद पुन: समवेत हुआ। सभापति ने स्वर्गीय श्री कुलकर्णी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदन को अपराह्न 3 बजकर 57 मिनट पर बाकी दिन के लिए स्थगित कर दिया। अगले दिन सभापति और विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं ने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की।[27]

25 जुलाई, 2001 को मध्याह्न पश्चात् यह खबर मिली कि लोक सभा की वर्तमान सदस्य, श्रीमती फूलन देवी की मृत्यु हो गई है और यह कि उस दिन मध्याह्न पश्चात् 1 बजकर 30 मिनट पर उनके घर पर गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। श्री रमा शंकर कौशिक ने सदन को उनकी मृत्यु की सूचना दी। उपसभापति महोदया सदन में आईं। उन्होंने सदन की राय ली। सदन ने मौन धारण किया। उसके पश्चात् सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन सभापति ने इस त्रासदिक घटना का उल्लेख किया और सदन ने मौन धारण किया। सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित की गई ताकि सदस्यगण दिवंगत श्रीमती फूलन देवी की अन्त्येष्टि में भाग ले सकें।[28]

इसी प्रकार 19 मार्च, 2002 को मध्याह्न पश्चात् यह खबर मिली कि एक त्रासदिक सड़क दुर्घटना में राज्य सभा के एक वर्तमान सदस्य, श्री दयानन्द सहाय की मृत्यु हो गई है। उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) ने सदन को श्री सहाय के निधन की सूचना दी। शेष दिवस के लिये सदन की बैठक स्थगित की गई। 20 मार्च, 2002 को सभापति ने श्री दयानन्द सहाय के निधन का उल्लेख किया और दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में सदन में मौन धारण किया गया और सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित की गई।[29]

सदन का थोड़े समय के लिए स्थगित होना या न होना

कभी-कभी ऐसे कार्य को देखते हुए जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता था, किसी सदस्य या मंत्री के निधन का समाचार मिलते ही सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया और कार्य को पूरा करने के लिए वह पुन: समवेत हुआ।

31 जुलाई, 1974 को सभापति ने सभा में उल्लेख किया कि औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम॰ बी॰ राणा का उस दिन तड़के कलकत्ता में निधन हो गया है। सदन ने एक मिनट के लिए मौन धारण किया और वह अपराह्न साढ़े पांच बजे तक के लिए स्थगित हुआ, सदन अपराह्न 5 बजकर 43 मिनट पर पुन: समवेत हुआ और अपराह्न 5 बजकर 46 मिनट पर स्थगित होने के पहले वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ आर॰ गणेश) ने वित्त (सं॰ 2) विधेयक, 1974 के लोक सभा में पुर:स्थापन के संबंध में वित्त मंत्री के एक वक्तव्य को सभा पटल पर रखा।[30]

किन्तु एक सत्र के अंतिम दिन एक बार ऐसा हुआ कि किए जाने वाले कार्य को देखते हुए एक आसीन सदस्य के निधन का उल्लेख करने के बाद सदन थोड़े समय के लिए या बाकी दिन के लिए स्थगित नहीं हुआ।

31 जनवरी, 1985 को सदन द्वारा संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1985 पारित कर दिए जाने के बाद उपसभापति ने सभा को सूचित किया कि उस दिन अपराह्न को सदन के एक आसीन सदस्य श्री कल्याण राय का कलकत्ता में निधन हो गया और उन्होंने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभा ने एक मिनट के लिए मौन धारण किया। कार्यावलि की अगली मद थी: लोक सभा द्वारा यथापारित प्रशासनिक अधिकरण विधेयक, 1985 पर विचार और उसका पारित किया जाना। यह सुझाव दिया गया कि विधेयक को अगले सत्र के दौरान लिया जाए और स्वर्गीय राय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाए। इस मामले को सदन के समक्ष रखते हुए उपसभापति ने कहा: ''हम....इस विधेयक पर विचार-विमर्श समाप्त हो जाने के बाद दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। किन्तु हम यह चाहते थे कि हमारे अधिकांश सदस्य उपस्थित रहें...इसलिए हमने ऐसा किया'' और विधेयक को विचारार्थ ले लिया गया।[31]

एक अन्य अवसर पर सभापति ने निधन का उल्लेख किया, सदन ने मौन धारण किया और दिवंगत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उसकी बैठक थोड़े समय के लिए स्थगित कर दी गई।

24 मार्च, 1992 को सभापति ने लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ॰ गुरदयाल सिंह ढिल्लों के निधन का उल्लेख किया, सदन ने मौन धारण किया। अपराह्न 3 बजकर 19 मिनट पर सदन को स्थगित कर दिया गया ताकि सदस्यगण स्वर्गीय ढिल्लों के प्रति, जिनका पार्थिव शरीर संसद् भवन के द्वार संख्या 1 पर लाया गया था, सम्मान व्यक्त कर सकें। सदन अपराह्न 3 बजकर 33 मिनट पर पुन: समवेत हुआ।[32]

दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में नेताओं द्वारा भाग लिया जाना

जैसाकि कहा जा चुका है, सामान्य प्रथा यही है कि सदन की ओर से सभापति द्वारा ही दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अपवादात्मक मामलों में प्रधान मंत्री या सभा का नेता श्रद्धांजलि की शुरुआत कर सकता है और विभिन्न दलों/समूहों के नेता और प्रतिनिधि और कुछ अन्य सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं और ऐसा होने पर सभापति अंत में सभा के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्त भावनाओं से स्वयं को संबद्ध करता है।

> प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सदन को सूचित किया कि महान समाजवादी नेता और सदन के आसीन सदस्य आचार्य नरेन्द्र देव का देहावसान हो गया है। इसके पश्चात् सभापति ने प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से स्वयं को संबद्ध किया।[33]

> भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्र प्रसाद,[34] सभा के नेता श्री गोविन्द बल्लभ पंत,[35] प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू,[36] प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री,[37] राष्ट्रपति डा॰ ज़ाकिर हुसेन,[38] राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद,[39] बाबू जगजीवन राम[40] और चौधरी चरण सिंह[41] के निधन पर उनके प्रति श्रद्धांजलि की शुरुआत सभा के नेता ने की और उनके बाद राज्य सभा में विभिन्न दलों/समूहों के नेता और प्रतिनिधि बोले। अन्त में सभापति/उपसभापति ने इस प्रकार व्यक्त की गई भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध किया।

> डा॰ राम मनोहर लोहिया,[42] प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी[43] और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी[44] के मामले में श्रद्धांजलि की शुरुआत सभापति ने की और उसके बाद दलों/समूहों के नेताओं/प्रतिनिधियों आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

> सभापति ने आसीन सदस्य और मंत्री श्री बीर बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधान मंत्री बोले।[45]

> सभापति ने एक आसीन सदस्य श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात् विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं ने व्यक्त की गई भावनाओं से स्वयं को संबद्ध किया।[46]

शोक संकल्प

कुछ अपवादात्मक मामलों में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन ने सभापति द्वारा रखे गए या सभा के नेता द्वारा उपस्थित किए गए संकल्पों को स्वीकृत किया है।

> श्री जवाहरलाल नेहरू, डा॰ ज़ाकिर हुसेन और श्री फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर सभा के नेता ने शोक संकल्प उपस्थित किए।[47] श्रीमती इंदिरा गांधी, खान अब्दुल ग़फ्फार खान और श्री राजीव गांधी के निधन पर सभापति ने सभा के समक्ष शोक संकल्प रखे।[48]

विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं आदि द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद सभी सदस्यों ने खड़े होकर मौन धारण किया और सदन ने संकल्प को पारित किया। इसके बाद अन्य सदस्यों और व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्थगित होने से पूर्व सदन ने पुनः उनके लिए मौन धारण किया।

काले हाशिए वाला संसदीय समाचार

संसदीय समाचार भाग-1 में सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण होता है। जब दिवंगत को श्रद्धांजलि दी जाती है तब उसमें उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाता है जिसे श्रद्धांजलि दी जाती है और साथ ही उसमें मौन धारण किए जाने और सदन के स्थगित किए जाने का उल्लेख किया जाता है। जून, 1991 से यह प्रथा शुरू हुई है कि दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन के स्थगित होने की स्थिति में संसदीय समाचार के चारों तरफ काला हाशिया रखा जाता है। विगत में चुने हुए व्यक्तियों के

मामले में ही इस संसदीय समाचार के चारों तरफ काला हाशिया लगाया जाता था। केवल निम्नलिखित व्यक्तियों के मामले में ऐसा किया गया था:

आचार्य नरेन्द्र देव, लोक सभा अध्यक्ष श्री जी॰ वी॰ मावलंकर, श्री पी॰ सी॰ भंजदेव, श्री गोविन्द बल्लभ पंत, डा॰ राजेन्द्र प्रसाद, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ॰ केनेडी, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, डा॰ ज़ाकिर हुसेन, श्रीमती वायलेट आल्वा, श्री फखरुद्दीन अली अहमद और श्रीमती इंदिरा गांधी।[49]

भूतपूर्व सभापतियों को श्रद्धांजलि

सदन ने राज्य सभा के भूतपूर्व सभापतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:

भूतपूर्व सभापति डा॰ ज़ाकिर हुसेन का निधन 3 मई, 1969 (शनिवार) को हुआ और उस समय वे राष्ट्रपति थे। सदन के नेता ने 5 मई, 1969 को शोक संकल्प उपस्थित करते हुए दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि की शुरुआत की। इसके बाद दलों/समूहों के नेताओं और अन्य सदस्यों ने अपने उद्‌गार व्यक्त किए। उस समय सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति ने सदन की अध्यक्षता करते हुए सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के साथ स्वयं को संबद्ध किया। संकल्प स्वीकृत हुआ और सदस्यों ने दो मिनट के लिए मौन धारण किया। उपसभापति ने सदन को दिन-भर के लिए स्थगित करते हुए कहा: ''हम सब सदन के उठने के आधा घंटे बाद दिवंगत राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में होंगे।''[50]

राज्य सभा के प्रथम सभापति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डा॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का 17 अप्रैल, 1975 को निधन हुआ। सदन का सत्र नहीं चल रहा था। सभापति ने सदन के सत्र के पहले दिन अर्थात् 25 अप्रैल, 1975 को डा॰ राधाकृष्णन् और साथ ही दो भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगतों के सम्मान में सदन ने दो मिनट के लिए मौन धारण किया। इसके बाद महासचिव ने संविधान (सैंतीसवां) और संविधान (अड़तीसवां) संशोधन विधेयक, 1975 के संबंध में लोक सभा से प्राप्त दो संदेशों की सूचना दी और दोनों विधेयकों को सभा पटल पर रखा। तत्पश्चात् सदन दिन-भर के लिए स्थगित हो गया।[51]

24 जून, 1980 को सभापति ने भूतपूर्व सभापति और राष्ट्रपति श्री वी॰ वी॰ गिरि को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका निधन, उस दिन सवेरे हो गया था। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर उनकी स्मृति में एक मिनट का मौन धारण किया और उसके बाद सभा दिन-भर के लिए स्थगित हो गई। अगले दिन सदन की बैठक होने पर सदन के नेता ने सुझाव दिया कि उस दिन श्री गिरि के दाह-संस्कार के कारण सदन को कोई कार्य किए बिना स्थगित कर दिया जाए। सदन में दलों/समूहों के नेताओं/प्रतिनिधियों ने सुझाव का समर्थन किया। सभापति ने यह देखते हुए कि सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, सभा को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया।[52]

श्री गोपाल स्वरूप पाठक का 31 अगस्त, 1982 को निधन हुआ। उस समय सदन का सत्र नहीं चल रहा था। 124वें सत्र के पहले दिन अर्थात् 4 अक्तूबर, 1982 को सभापति ने श्री पाठक, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, श्री सी॰ डी॰ देशमुख और राज्य सभा के दो भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा ने दिवंगतों की स्मृति में एक मिनट का मौन धारण किया।[53]

श्री एम॰ हिदायतुल्लाह का निधन 18 सितम्बर, 1992 को हुआ। उस समय सभा का सत्र नहीं चल रहा था। सभापति ने 165वें सत्र के पहले दिन अर्थात् 24 नवम्बर, 1992 को श्री एम॰ हिदायतुल्लाह और अन्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दिन सभा की बैठक होने के पहले दलों/समूहों के प्रतिनिधियों और नेताओं की सभापति के साथ एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि राज्य सभा के भूतपूर्व सभापति श्री हिदायतुल्लाह की स्मृति में सभा को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया जाए। मौन धारण करने के बाद सभा स्थगित हो गई।[54] सभापति श्री के॰ आर॰ नारायणन् उपराष्ट्रपति बनने के बाद इस दिन पहली बार राज्य सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दिन न तो राष्ट्रगान की धुन बजाई गई और न ही सभापति को बधाइयां दी गईं और ऐसा अगले दिन किया गया।

सभापति ने 15 जुलाई, 2002 को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पूर्व सभापति, श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती के निधन का उल्लेख किया। सभा ने दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मौन धारण किया और तत्पश्चात् सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित हो गई।[54क]

29 जुलाई, 2002 को उपसभापति ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री कृष्णकान्त के निधन का उल्लेख किया। सभा ने दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एक मिनट का मौन धारण किया और तत्पश्चात् सदन की बैठक दिवस के लिये स्थगित हो गई।[55]

लोक सभा के आसीन सदस्य के निधन पर श्रद्धांजलि

लोक सभा के किसी आसीन सदस्य के निधन पर सामान्यत: उसे तभी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जब वह विगत में राज्य सभा का सदस्य रहा हो या मंत्री रहा हो या वह अन्यथा कोई लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति हो। विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाद साहा[56] और समाजवादी नेता डा॰ राममनोहर लोहिया[57] अपने निधन के समय लोक सभा के आसीन सदस्य थे और उन्हें राज्य सभा में श्रद्धांजलि दी गई थी। लोक सभा अध्यक्ष, श्री जी॰ वी॰ मावलंकर,[58] श्री फीरोज़ गांधी,[59] भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, श्री के॰ कामराज,[60] श्री संजय गांधी,[61] श्री ललित माकन[62] और श्री फ्रैंक एन्थनी[63] के निधन के कारण भी सभा दिन-भर के लिए स्थगित हो गई। (स्वर्गीय श्री ललित माकन के मामले में सभापति ने सभा का अभिप्राय जानकर उसे स्थगित कर दिया और श्री फ्रैंक एन्थनी के मामले में सभा को स्थगित करने के पूर्व उपसभापति ने उस दिन सवेरे अपने कक्ष में नेताओं के साथ एक अनौपचारिक बैठक की।)

केन्द्रीय मंत्री और लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू,[64] सुप्रसिद्ध नेता, वयोवृद्ध सांसद् और लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्ता,[65] केन्द्रीय मंत्री और लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम[66] और सुप्रसिद्ध सांसद्, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री माधवराव सिंधिया[67] के निधन पर सभापति ने सदन में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी, मौन धारण किया और सदन की बैठक को स्थगित किया।

बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के अध्यक्ष, श्री जी॰एम॰सी॰ बालयोगी के निधन पर सभापति ने 4 मार्च, 2002 को श्री बालयोगी के निधन का उल्लेख किया और दिवंगत के सम्मान में मौन धारण करने के पश्चात् सदन की बैठक को निरन्तर तीन दिनों के लिये स्थगित किया।[68]

9 अगस्त, 1967 को लोक सभा अपने आसीन सदस्य श्री जय बहादुर सिंह के निधन के कारण स्थगित हो गई। यह सुझाव दिए जाने पर कि राज्य सभा को भी स्थगित कर दिया जाना चाहिए, सभापति ने कहा कि जब तक सभा के सभी पक्षों और नेताओं में सहमति न हो तब तक कोई नया पूर्वोदाहरण बनाना कठिन है क्योंकि विगत में इस बारे में श्री फीरोज़ गांधी का ही केवल एक अपवाद रहा है। अत: सभा स्थगित नहीं की गई। किंतु सभापति ने शोक व्यक्त किया और सभा ने उस सदस्य की स्मृति में एक मिनट का मौन धारण किया।[69]

देश के महत्त्वपूर्ण और लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों को श्रद्धांजलि

प्रथानुसार देश के या विश्व के सार्वजनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के निधन पर उन्हें सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सभापीठ द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद दिवंगत की स्मृति में सभी सदस्य खड़े होकर मौन धारण करते हैं। नीचे कुछ ऐसे लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है जिनके निधन पर सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मौन धारण किया गया:

श्री बी॰ एन॰ राव, न्यायाधीश, इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय);[70] श्री मानेकजी बैरमजे दादाभाई, भूतपूर्व काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य और अध्यक्ष (प्रेजीडेंट);[71] श्रीमती शिवकमम्मा राधाकृष्णन्, सभापति, डा॰ राधाकृष्णन् की धर्मपत्नी।[72]

सभापति ने इसके उत्तर में एक पत्र लिखा जिसे सभा में पढ़कर सुनाया गया। इस पत्र में सभापति ने दु:ख की घड़ी में राज्य सभा के सदस्यों की संवेदना के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा: ''कोई औपचारिक संकल्प नहीं भी होता तब भी मुझे इसकी सूचना मिल जाती। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि जिन सदस्यों के साथ कार्य करने का मुझे गौरव प्राप्त है वे (शोक की) इस घड़ी में मेरे लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं।''[73]

श्री टी॰ प्रकाशम्, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री;[74] डा॰ भगवान दास, दार्शनिक;[75] सैयद फज़ल अली, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष;[76] डा॰ जॉन मथाई, भूतपूर्व वित्त मंत्री;[77] डा॰ पी॰ सुब्बारायन, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल;[78] डा॰ बी॰ सी॰ रॉय, मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल;[79] सिक्किम के महामहिम सर ताशी नामग्याल;[80] श्री दीन दयाल उपाध्याय, जन संघ के अध्यक्ष;[81] श्री एम॰ एस॰ अणे, लब्ध-प्रतिष्ठ नेता;[82] श्री चन्द्रशेखर वेंकटरमन, विख्यात वैज्ञानिक;[83] श्री श्रीप्रकाश, महाराष्ट्र के राज्यपाल;[84] श्री जी॰ एम॰ सादिक, मुख्य मंत्री, जम्मू-कश्मीर;[85] श्री सी॰ राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल;[86] श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, सर संघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ;[87] श्री मुज़फ्फर अहमद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य;[88] शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री;[89] श्री सी॰ डी॰ देशमुख, भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री;[90] आचार्य विनोबा भावे, भूदान नेता;[91] सरदार हुकम सिंह, अध्यक्ष, लोक सभा;[92] श्री तेनजिंग नोर्गे, एवरेस्ट विजेता;[93] डा॰ नगेन्द्र सिंह, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) के न्यायाधीश;[94] श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, भूतपूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री;[95] श्री एस॰ एम॰ जोशी, समाजवादी नेता;[96] श्री एस॰ ए॰ डांगे, कम्युनिस्ट नेता;[97] श्री अच्युत पटवर्धन, समाजवादी नेता;[98] श्री एन॰ टी॰ रामाराव, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय नेता;[99] ज्ञानी जैल सिंह, भारत के पूर्व राष्ट्रपति;[100] श्रीमती अरुणा आसफ अली, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी;[101] मदर टेरेसा, नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता;[102] श्री ई॰एम॰एस॰ नम्बूदिरीपाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध नेता;[103] श्री शंकर दयाल शर्मा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति;[104] श्री एस॰ निजलिंगप्पा, संविधान सभा के सदस्य तथा सुप्रसिद्ध गांधीवादी;[105] और श्री सी॰ सुब्रह्मणियम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा संविधान सभा के सदस्य।[106]

सभा निम्नलिखित व्यक्तियों की स्मृति में भी स्थगित हुई है:

डा॰ एच॰ सी॰ मुकर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल;[107] श्री जय प्रकाश नारायण;[108] आचार्य जे॰ बी॰ कृपलानी;[109] संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल, अकाली नेता;[110] श्री एम॰ जी॰ रामचन्द्रन, मुख्य मंत्री, तमिलनाडु;[111] श्री कर्पूरी ठाकुर, बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री;[112] जनरल ए॰ एस॰ वैद्य, भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष;[113] श्री जे॰आर॰डी॰ टाटा, उद्योगपति[114] और श्रीमती अरुणा आसफ अली, स्वतंत्रता सेनानी।[115]

कभी-कभी सभापीठ ने किसी खास व्यक्ति के निधन पर सदन की ओर से शोक व्यक्त किया है। पृथक् आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन करने वाले श्री पोत्ती श्रीरामुलु[116] और नागालैंड अंतरिम परिषद् के अध्यक्ष डा॰ इमकोंग्लीबा आवो[117] के निधन पर सभापति द्वारा शोक व्यक्त किया गया था।

विदेशों के राज्याध्यक्षों या गणमान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के निधन पर श्रद्धांजलि

किसी बाह्य देश के राज्याध्यक्ष या किसी गणमान्य या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति के निधन पर सभापति या प्रधान मंत्री उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है और दिवंगत व्यक्ति की स्मृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदन मौन धारण करता है। निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों का सदन में उल्लेख किया गया:

नेपाल नरेश, त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह;[118] लेडी माउंटबेटन;[119] भूटान के प्रधान मंत्री, जिगमे दोरजी;[120] ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, हेरोल्ड होल्ट;[121] यू॰ए॰आर॰ के राष्ट्रपति, अब्दुल नासर;[122] फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जनरल दे गाल;[123] नेपाल नरेश, महेन्द्र बीर बिक्रम शाह;[124] भूटान नरेश, जिगमे दोरजी वांगचुक;[125] महान बांग्ला कवि, काज़ी नज़रुल इस्लाम;[126] लॉर्ड माउंटबेटन;[127] यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, जोसिप ब्रोज़ टीटो;[128] तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति, लियोनिद ब्रेज़नेव[129] और यूरी व्लादीमिरोविच आंद्रोपोव;[130] मॉरीशस के गवर्नर-जनरल, श्री शिवसागर रामगुलाम;[131] मोज़म्बीक के राष्ट्रपति, श्री समोरा मेकेल;[132] पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ज़िया-उल-हक़;[133] उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, किम-इल-सुंग;[134] इस्राइल के प्रधान मंत्री, श्री यिझाक रॉबिन;[135] चीन के नेता, डेंग ज़िआओपिंग;[136] जॉर्डन के किंग हुसेन;[137] तनजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जुलियस नैरेरे[138] और सीरिया के राष्ट्रपति, श्री हाफिज़-एम-असद।[139]

6 मई, 1981 को सभा के समवेत होते ही कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटेन की संसद् के सदस्य श्री बॉबी सैन्ड्स को श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। सभापति का कहना था कि वे सदन की भावनाओं को समझते हैं किंतु सदन के नेता द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के पहले वे अपनी बात नहीं कह सकते। सदन के नेता ने अन्य बातों के साथ स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन से कोई पूर्वोदाहरण न बनाने का अनुरोध किया। इसके बाद एक सदस्य बोले और उन्होंने अंत में विपक्ष से खड़े हो जाने के लिए निवेदन किया, इस समय विपक्षी दलों के कुछ सदस्य खड़े हो गए, सभापति ने कहा: ''यह अच्छा नहीं लगता, मैं सदन को बता दूं कि इसे दूसरे सदन में भी उठाया गया था। किंतु लोग मौन धारण करने के लिए खड़े नहीं हुए,'' सभापति ने आगे कहा: ''आपका... खड़ा होना सही नहीं लगता।'' जब सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने पूछा कि क्या यह सदन की अवमानना या अपमान नहीं है, तब सभापति ने यह कहकर विवाद को समाप्त कर दिया: ''एक दु:खद मामले में इतनी गर्मी और इतना गुस्सा नहीं दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कभी-कभी सभा से बहिर्गमन करना पसंद किया है। यदि उन्होंने शांति से खड़ा होना पसंद किया है तो आपने ऐसा नहीं किया। आपने उनके साथ बहिर्गमन नहीं किया। ...मैं उन्हें शांति या शोर के वातावरण में नहीं बिठा सकता,'' इसके बाद सभापति ने प्रश्न-काल की कार्यवाही शुरू कर दी।[140]

विदेशों के निम्नलिखित उच्च पदस्थ व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन दिन-भर के लिए स्थगित हो गया: तत्कालीन सोवियत संघ के मार्शल, स्तालिन;[141] अमेरिका के राष्ट्रपति, जॉन एफ॰ केनेडी;[142] तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति, कोन्स्तेन्तिन के॰ चेरनेंको;[143] स्वीडन के प्रधान मंत्री, ओलोफ पामे;[144] जापान के सम्राट, हिरोहितो;[145] ईरान के अयातुल्लाह रूहोल्लाह खोमीनी;[146] श्रीलंका के राष्ट्रपति, रणसिंघे प्रेमदास।[147] सभापति ने श्रीलंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके[148] और महाराजा बीरेन्द्र विक्रमशाह देव तथा उनके परिवार के सदस्यों[149] के निधन के बारे में उल्लेख किया और सदन में मौन धारण किया गया। तत्पश्चात् सभा स्थगित की गई।

जब भी विदेश के किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तब विदेश मंत्रालय को शोक संदेश भेज दिया जाता है ताकि उसे संबंधित देश की सरकार के समुचित व्यक्ति या प्राधिकारी तक पहुंचाया जा सके।[150]

(ख) विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा और उन्हें श्रद्धांजलि

अवसर की आवश्यकता के अनुसार सभापति या सदस्य उल्लेखनीय कार्य करने वाले अथवा उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम का आह्वान करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प पर सदन में एक अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा के अंत में प्रधान मंत्री के सुझाव पर सदन के अनियत दिन के लिए स्थगित होने के पहले सभी सदस्यों ने खड़े होकर कृतज्ञतापूर्वक ''उन सभी व्यक्तियों की स्मृति में एक मिनट का मौन धारण किया जिन्होंने इस बात की खातिर कि हम प्रतिष्ठा के साथ जी सकें अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।''[151]

अविभाजित बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज का 10 अगस्त, 1970 को निधन हुआ। नेताओं ने उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए।[152]

सदन को यह सूचना दिए जाने के बाद कि बांग्लादेश में पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण कर दिया है, एक सदस्य के सुझाव पर सदन ने बांग्लादेश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शूरवीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मिनट का मौन धारण किया।[153]

डा॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन्[154] और श्री जी॰ वी॰ मावलंकर[155] की जन्म-शताब्दी के अवसर पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की सराहना की गई।

कार्ल मार्क्स की मृत्यु-शताब्दी के अवसर पर उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए गए।[156]

महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी के अवसर पर सभापति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एक संकल्प उपस्थित किया जिसे सदस्यों ने खड़े होकर स्वीकृत किया।[157]

मई दिवस के अवसर पर उपसभापति ने मेहनतकश लोगों का अभिनंदन किया और उन सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने विश्व-भर में मेहनतकश वर्ग की दशा सुधारने और बेहतर बनाने के लिए प्रयास और संघर्ष किया।[158]

प्रधान मंत्री ने दक्षिणी रोडेशिया की अवैध सरकार द्वारा तीन अफ्रीकी देशभक्तों को प्राणदंड दिए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया। इसके बाद सदन ने अफ्रीकी देशभक्तों की स्मृति में मौन धारण किया।[159]

सभापति ने अफ्रीकन नेशनल पार्टी के चेयरमैन ओलीवर ताम्बो के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव क्रिस हेनी के निधन पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी हत्या कर दी गई थी।[160]

30 जनवरी शहीदों का दिवस है। जब भी इस तारीख को सदन की बैठक होती है तब वह कार्यवाही शुरू करने के पहले उन व्यक्तियों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण करता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। 1976, 1980 और 1985 में 30 जनवरी को सदन की बैठक हुई और उसने कार्यवाही शुरू करने के पहले मौन धारण किया था।

9 अगस्त को जब भी सदन की बैठक होती है तब लगभग नियमित रूप से इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है कि 'भारत छोड़ो आंदोलन' का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मौन रखा जाए। सभापति द्वारा 'भारत छोड़ो आंदोलन' की रजत जयन्ती का उल्लेख किए जाने पर ''स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले और इस लक्ष्य के लिए अनेक कष्ट झेलने वाले लोगों के प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर व्यक्त करने के लिए'' सदस्यों ने खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन धारण किया। भारत छोड़ो आंदोलन की पचासवीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार, 8 अगस्त, 1992 को सदन की एक विशेष बैठक हुई। सदस्यों ने खड़े होकर मौन धारण किया और उपसभापति द्वारा उपस्थित किए गए एक संकल्प को सदन द्वारा स्वीकार किया गया।[161]

23 मार्च, 1993 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के बलिदान की वर्षगांठ पर सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी स्मृति में मौन धारण किया।[162]

अपने-अपने पदों से त्यागपत्र देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रति प्रशंसात्मक उद्‌गार व्यक्त किए गए। उपराष्ट्रपति श्री वी॰ वी॰ गिरि,[163] श्रीमती वायलेट आल्वा,[164] डा॰ (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला,[165] श्री एम॰ एम॰ जेकब,[166] श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल[167] (ये सभी व्यक्ति उपसभापति थे) और सभा के नेता श्री जयसुखलाल हाथी।[168]

(ग) बधाइयां, प्रशंसा और अभिनन्दन

अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के अवसर पर सदन की ओर से बधाइयां देने या अभिनन्दन करने की प्रथा है। ऐसे अवसरों का ब्यौरा इस प्रकार है:

लोक सभा अध्यक्ष डा॰ जी॰ एस॰ ढिल्लों और लोक सभा के महासचिव श्री श्यामलाल शकधर का क्रमश: इन्टर-पार्लियामेंटरी काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ द सेक्रेटरीज-जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स का अध्यक्ष (प्रेज़ीडेंट) चुना जाना;[169] अपोलो-8 के अंतरिक्ष यात्रियों और अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों का चन्द्रमा पर उतरना;[170] भारतीय हॉकी टीम का विश्व-विजेता बनना;[171] एसएलवी-3 का सफलतापूर्वक छोड़ा जाना;[172] मॉस्को ओलिम्पिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम की सफलता;[173] 'एपल' का सफलतापूर्वक छोड़ा जाना (इस संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया एक संकल्प भी स्वीकृत हुआ);[174] भारत और सोवियत संघ की संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की सफलता;[175] भारतीय एवरेस्ट पर्वत अभियान के सदस्य श्री फू दोरजी द्वारा ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ना;[176] शारजाह में भारतीय क्रिकेट टीम की विजय;[177] सत्यजित रॉय को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाना।[178]

सदन की बैठक के आरंभ होते ही सभापति ने यह उल्लेख किया कि दक्षिण अफ्रीका में सर्वजातीय लोकतांत्रिक चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने से वहां रंगभेद का अंत हो गया है और उन्होंने वहां के लोगों को बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।[179]

राज्य सभा में दलों/समूहों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद उपसभापति ने इस घटना का स्वागत करते हुए सभा के समक्ष एक संकल्प रखा। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।[180]

28 नवम्बर, 1995 को सभापति ने उपसभापति डा॰ (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला को इन्टर-पार्लियामेंटरी यूनियन की एक्जीक्यूटिव कमेटी के लिए चुने जाने पर बधाई दी।[181]

21 अक्तूबर, 1999 को सदन के नेता और विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह, विपक्ष के नेता, डा॰ मनमोहन सिंह और विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं तथा अन्य सदस्यों ने उपसभापति डा॰ (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला को एकमत से इन्टर पार्लियामेंटरी काउंसिल का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।[182]

भारत-मोरक्को मैत्री के गठन हेतु श्रेयस्कर प्रयासों के लिये मोरक्को के बादशाह महामहिम मोहम्मद VI द्वारा उपसभापति, डा॰ (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला को 'ग्रैंड कोर्डन ऑफ अलावी-विस्सम' के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किये जाने पर सभा के नेता, श्री जसवंत सिंह, विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं तथा अन्य सदस्यों ने डा॰ (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला को बधाई दी।[183]

सभापति तथा अन्य व्यक्तियों को बधाइयां

सदन की यह सुस्थापित परिपाटी है कि वह सभापति को भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम उपलब्ध अवसर पर बधाई देता है और उपसभापति को उनके चुने जाते ही बधाई देता है।

उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद डा॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, मंगलवार, 13 मई, 1952 को, जब राज्य सभा की पहली बैठक हुई थी, पहली बार सभापति के आसन पर बैठे। इस तारीख को सदस्यों ने शपथ ली या प्रतिज्ञान किया और सदन शुक्रवार, 16 मई, 1952 तक के लिए स्थगित हुआ। इस बैठक में एक सदस्य ने निवेदन किया कि ''इस उच्च पद के लिए आपके चुने जाने पर आपको बधाई देने के लिए हमें कोई अवसर नहीं दिया गया है।'' इसके तुरंत बाद प्रधान मंत्री और दलों के अन्य नेताओं/प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई दी। प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर जो उद्गार व्यक्त किए वे उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कहा:

> ''श्रीमन्, पिछले दो या तीन दिनों से हम इस सदन में और दूसरे सदन में भी विभिन्न औपचारिक कार्यों में व्यस्त रहे हैं। सदस्यों ने सेवा के लिए शपथ ली है और प्रतिज्ञान किया है। यह उचित है कि हम इन औपचारिकताओं को पूरा करें; उनका एक निश्चित अर्थ है।
>
> और अब हम इन दोनों सदनों में अपना वास्तविक कार्य शुरू करते हैं। श्रीमन्, इसके पहले कि हम ऐसा करें, मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द कहना चाहूंगा, इस उच्च पद पर आसीन होने के उपलक्ष्य में आपको बधाई देने के लिए नहीं बल्कि सदन को इस बात के लिए बधाई देने के लिए कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि आप यहां इस सदन के विचार-विमर्श में हमारे मार्गदर्शन के लिए ही नहीं बल्कि, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, एक अन्य उच्च पद पर आसीन होने के नाते अनेक प्रकार से हमारी मदद करने के लिए भी उपलब्ध होंगे।''[184]

डा॰ राधाकृष्णन् को उपराष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने जाने पर 13 मई, 1957 को पुन: बधाइयां दी गईं।[185] राज्य सभा के सभापति पद से निवृत्त होने पर भी उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए गए।[186]

उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद डा॰ ज़ाकिर हुसेन ने 14 जून, 1962 को पहली बार सदन की अध्यक्षता की। उस दिन सदन मुहर्रम के कारण स्थगित हो गया और इसलिए उन्हें 15 जून, 1962 को बधाइयां दी गईं।[187] सभा ने उन्हें 11 अप्रैल, 1967 को विदाई दी।[188]

श्री वी॰ वी॰ गिरि 13 मई, 1967 को उपराष्ट्रपति बने। सदन का सत्र नहीं चल रहा था। अत: उन्हें 60वें सत्र के पहले दिन अर्थात् 22 मई, 1967 को प्रश्न-काल की समाप्ति के बाद बधाइयां दी गईं।[189] उन्हें 22 जुलाई, 1969 को विदाई दी गई और उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए गए।[190]

श्री गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त, 1969 को उपराष्ट्रपति बने। सदन का सत्र नहीं चल रहा था। अत: उन्हें 70वें सत्र के पहले दिन अर्थात् 17 नवम्बर, 1969 को प्रश्न-काल के बाद बधाइयां दी गईं।[191]

श्री बी॰ डी॰ जत्ती 31 अगस्त, 1974 को उपराष्ट्रपति बने। सदन ने उन्हें उस दिन हुई बैठक में बधाइयां दीं।[192]

श्री एम॰ हिदायतुल्लाह ने 31 अगस्त, 1979 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। सदन का सत्र नहीं चल रहा था। सदन 112वें सत्र के लिए 23 जनवरी, 1980 को समवेत हुआ। वर्ष की पहली बैठक होने के कारण औपचारिक कार्य और दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि के बाद सदन की बैठक स्थगित हो गई। श्री हिदायतुल्लाह को 24 जनवरी, 1980 को बधाइयां दी गईं।[193] उनके निवृत्त होने पर सदन ने उन्हें 24 अगस्त, 1984 को विदाई दी।[194]

इसी प्रकार श्री आर॰ वेंकटरामन् 31 अगस्त, 1984 को उपराष्ट्रपति बने और उन्हें 18 जनवरी, 1985 को बधाइयां दी गईं क्योंकि 1985 में सदन का पहला सत्र 17 जनवरी, 1985 को आरम्भ हुआ था।[195]

डा॰ शंकर दयाल शर्मा 3 सितम्बर, 1987 को उपराष्ट्रपति बने। सदन का सत्र नहीं चल रहा था। सदन का 144वां सत्र 6 नवम्बर, 1987 को आरम्भ हुआ और उसी दिन उन्हें बधाइयां दी गईं।[196]

श्री के॰ आर॰ नारायणन् 21 अगस्त, 1992 को उपराष्ट्रपति बने। उस समय सदन का सत्र नहीं चल रहा था। सदन 24 नवम्बर, 1992 को अपने 165वें सत्र के लिए समवेत हुआ। उस दिन सदन की बैठक भूतपूर्व सभापति श्री एम॰ हिदायतुल्लाह की स्मृति में स्थगित हो गई। श्री नारायणन् को 25 नवम्बर, 1992 को बधाइयां दी गईं।[197]

श्री कृष्ण कांत 21 अगस्त, 1997 को भारत के उपराष्ट्रपति बने। प्रधान मंत्री तथा अन्य सदस्यों ने उन्हें 26 अगस्त, 1997 को बधाइयां दीं।[198]

श्री भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त, 2002 को भारत के उपराष्ट्रपति बने। उस समय सदन का सत्र नहीं चल रहा था। अत: प्रधान मंत्री तथा अन्य सदस्यों ने उन्हें 20 नवम्बर, 2002 को बधाइयां दीं।[198क]

यदि सदन की किसी बैठक के दिन सभापति का जन्मदिन पड़ता हो तो उन्हें बधाई देने और उनका अभिनंदन करने की भी प्रथा है। सभापति के सदन में प्रवेश करते ही और प्रश्नों को लिए जाने से पहले ऐसा किया जाता है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक को 26 फरवरी, 1973 और 26 फरवरी, 1974 को जन्मदिन की बधाइयां दी गईं।[199] श्री बी॰ डी॰ जत्ती को 10 सितम्बर, 1974 को जन्मदिन की बधाइयां दी गईं;[200] और श्री एम॰ हिदायतुल्लाह को 17 दिसम्बर, 1980 और 17 दिसम्बर, 1981 को जन्मदिन की बधाइयां दी गईं। 17 दिसम्बर, 1981 को दी गई बधाइयों का उत्तर देते हुए श्री हिदायतुल्लाह ने अन्य बातों के साथ यह कहा:

> मैं यह व्यवस्था देना चाहता हूं कि प्रश्न-काल में ऐसा कुछ न हो। किंतु सदस्यों ने उदारतापूर्वक जो शब्द कहे हैं उन्हें देखते हुए मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं देनी चाहिए और फिलहाल मैं इस व्यवस्था को रोके रखता हूं।[201]

श्री आर॰ वेंकटरामन् को 4 दिसम्बर, 1985 को और 4 दिसम्बर, 1986 को जन्मदिन की बधाइयां दी गईं। 4 दिसम्बर, 1985 को दी गई बधाइयों के उत्तर में अन्य बातों के साथ उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> मैं समझता हूं कि आपमें से हर कोई यह चाहता होगा कि मेरा जन्मदिन हर दिन आए क्योंकि हर सदस्य को बुलाने के लिए मैं आज इतना उदार रहा हूं जितना मैं अन्यथा नहीं होता... आज जो भी बात कही गई है उसे अभिलिखित किया जाएगा।[202]

डा॰ शंकर दयाल शर्मा को 19 अगस्त, 1988 को जन्मदिन की बधाइयां दी गईं। शुक्रवार, 17 अगस्त, 1990 को जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, कुछ सदस्यों ने उनके सुखद जन्मदिन की कामना की। सभापति ने धन्यवाद देते हुए कहा: ''किंतु मेरा जन्मदिन आज नहीं है।'' विपक्ष के नेता ने निवेदन किया, ''श्रीमन्, आप इसे पूर्वसूचना के रूप में स्वीकार करें। हम रविवार को आएंगे।''

सोमवार, 20 अगस्त, 1990 को कुछ सदस्यों और सभा के नेता ने उन्हें पुन: बधाइयां दीं।[203]

कभी-कभी जन्मदिन की बधाइयां या शुभकामनाएं सदस्यों/मंत्रियों को भी दी जाती हैं।

रक्षा मंत्री श्री यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण को उनके 61वें जन्मदिन पर बधाई दी गई।[204] प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को भी उनके जन्मदिन की बधाइयां दी गईं।[205]

सदन उपयुक्त मामलों में किसी सदस्य द्वारा की गई सेवाओं की सराहना भी करता है।

13 जून, 1977 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में महासचिव ने सूचना दी कि सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी कि चूंकि श्री भूपेश गुप्त की राज्य सभा की लगातार सदस्यता के पच्चीस वर्ष पूरे हो चुके हैं इसलिए इस संबंध में सदन में या सदन के बाहर किसी उपयुक्त समारोह में उनकी इस उपलब्धि का समुचित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। समिति इस पर सहमत थी कि इस संबंध में सदन के नेता, विपक्ष के नेता और उपसभापति द्वारा 22 जून, 1977 को प्रश्न-काल समाप्त होते ही एक उल्लेख किया जाए। तद्नुसार सदन के सभी पक्षों और उपसभापति ने श्री भूपेश गुप्त की सेवाओं की सराहना की।[206]

राज्य सभा की सदस्यता से 13 अगस्त, 1993 को निवृत्त होने पर श्री पी॰ शिव शंकर के प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए गए।[207]

राहत या चिंता का व्यक्त किया जाना

सभापति या सदस्य किसी घटना पर राहत या संतोष भी व्यक्त करते हैं।

सभापति ने भूटान में राष्ट्रपति के दुर्घटना से बच जाने पर राहत व्यक्त की।[208]

उपसभापति ने जोरहाट के समीप एक विमान दुर्घटना में प्रधान मंत्री के बाल-बाल बच जाने के बारे में एक उल्लेख किया।[209]

सभापति तथा नेताओं ने मकालू विमान में तोड़फोड़ करने के कृत्य की निंदा की जिसमें प्रधान मंत्री को अपनी विदेश यात्रा के लिए जाना था। उन्होंने प्रधान मंत्री के दीर्घ जीवन की कामना भी की।[210]

सदन के नेता ने एक संकल्प उपस्थित किया जिसमें 30 जुलाई, 1987 को कोलम्बो में हुए हमले में प्रधान मंत्री के सकुशल रहने पर राहत व्यक्त की गई थी। संकल्प स्वीकृत हुआ।[211]

सदन के समवेत होते ही कोई कार्य शुरू करने के पहले सदन के नेता और दलों/समूहों के नेताओं/प्रतिनिधियों ने सभापति के स्वास्थ्य-लाभ के बाद वापस आने पर उन्हें बधाई दी।[212]

सदस्यों ने पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान की नजरबंदी और उनके गिरते जा रहे स्वास्थ्य पर चिंता प्रकट की।[213]

(घ) राज्य सभा के महासचिव के बारे में उल्लेख

राज्य सभा के प्रथम महासचिव श्री एस॰ एन॰ मुखर्जी का पद पर रहते हुए निधन होने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।[214]

सभापति और दलों/समूहों के नेताओं ने महासचिव श्री बी॰ एन॰ बनर्जी के सेवानिवृत्त होने पर उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए और नए महासचिव के रूप में उनके उत्तराधिकारी श्री एस॰ एस॰ भालेराव का स्वागत किया।[215]

महासचिव श्री एस॰ एस॰ भालेराव के सेवानिवृत्त होने पर सभापति और दलों/समूहों के नेताओं ने उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए और नए महासचिव के रूप में उनके उत्तराधिकारी श्री सुदर्शन अग्रवाल का स्वागत किया।[216]

महासचिव श्री सुदर्शन अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने पर सभापति, उपसभापति और दलों/समूहों के नेताओं ने उनके प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए और उनके उत्तराधिकारी के रूप में नई महासचिव श्रीमती वी॰ एस॰ रमा देवी का स्वागत किया।[217] [इस कार्यवाही के दौरान श्री अग्रवाल के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उन्हें विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल बॉक्स) में बैठाया गया था।]

महासचिव श्रीमती वी॰ एस॰ रमा देवी के सेवानिवृत्त होने पर सदस्यों ने उनकी सेवाओं के लिये, जो उन्होंने सदन को प्रदान कीं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। सभापति ने 19 नवम्बर, 1997 को महासचिव

श्री आर॰ सी॰ त्रिपाठी का सदन से परिचय कराया था।[218]

श्री आर॰ सी त्रिपाठी 3 अक्तूबर, 1997 से 31 अगस्त, 2002 तक राज्य सभा के महासचिव रहे। उनके उत्तराधिकारी डा॰ योगेन्द्र नारायण 1 सितम्बर, 2002 को महासचिव बने। सभापति ने सदन से इनका परिचय 18 नवम्बर, 2002 को कराया था।[218क]

23 जुलाई, 2001 को पूर्व महासचिव श्री एस॰ एस॰ भालेराव[219] और 18 नवम्बर, 2002 को पूर्व महासचिव श्री बी॰ एन॰ बनर्जी के निधन का उल्लेख भी किया गया।[219क]

(ङ) विदेशों के संसदीय शिष्टमंडलों का स्वागत

जब भी कोई विशिष्ट विदेशी दर्शक या विदेश का कोई संसदीय शिष्टमंडल विशेष प्रकोष्ठ से राज्य सभा की कार्यवाही देखने के लिए आता है, सभापति सदन की कार्यवाही को बीच में रोककर सदन की ओर से दर्शकों का स्वागत करता है, देश में उनके निवास के दौरान उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत होने की कामना करता है, संबंधित देश की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देता है और उनका अभिनन्दन करता है। सामान्यत: विदेशी दर्शकों का आगमन प्रश्न-काल के दौरान होता है और सदस्यगण भी हर्षध्वनि करके लब्ध-प्रतिष्ठ दर्शकों का स्वागत करने में सभापति के साथ स्वयं को संबद्ध करते हैं। यह प्रथा राज्य सभा में 8 दिसम्बर, 1981 से आरम्भ हुई है।[220]

(च) गम्भीर अथवा महत्त्वपूर्ण अवसरों पर होने वाले उल्लेख

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की घटनाओं या अवसरों पर, चाहे वे गम्भीर हों या शोकजनक, सदन की भावनाओं को प्रतिध्वनित करने और व्यक्त करने के लिए सभापीठ द्वारा उनका उल्लेख किया जाना एक परम्परागत प्रक्रिया बन गई है। सदन में निम्नलिखित अवसरों पर ऐसे उल्लेख किए गए हैं:

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किए जाने की दसवीं, बारहवीं, पच्चीसवीं और चालीसवीं वर्षगांठ;[221] राज्य सभा की 3,000 बैठकों का सम्पन्न होना;[222] अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोफ के बीच जिनेवा में हुई बैठक;[223] 8 दिसम्बर, 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोफ द्वारा इन्टरमीडिएट रेंज न्यूक्लिअर फोर्सेज (आई॰ एन॰ एफ॰) एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर।[224]

रक्षा मंत्री ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के युद्ध के बारे में एक वक्तव्य दिया। अंत में सभापति ने इस संबंध में सदन की एकजुटता की भावना व्यक्त की।[225]

प्रधान मंत्री ने गणप्रजातंत्री बांग्लादेश को मान्यता देने के बारे में एक वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में बांग्लादेश की सरकार और जनता को बधाइयां दी गई थीं और उनका अभिनन्दन किया गया था। इस वक्तव्य के बाद विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं और सभापति ने वक्तव्य में निहित भावनाओं के साथ स्वयं को संबद्ध किया।[226]

भोपाल गैस त्रासदी की पहली वर्षगांठ का उल्लेख किया गया।[227]

अब यह नियमित प्रथा-सी बन गई है कि जब भी सदन किसी वर्ष 6/9 अगस्त को बैठता है तब क्रमश: 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने का उल्लेख किया जाता है। ऐसे अवसर पर परमाणु बम के कारण हुए महाविनाश के शिकार हुए व्यक्तियों के सम्मान में सदन द्वारा मौन धारण किया जाता है।[228]

सभापति ने नामीबिया के स्वतंत्र होने पर उसे बधाइयां दीं।[229]

अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के संदर्भ में सभापति ने सदन में देशवासियों से ''राष्ट्र के सामने आई इस संकट की घड़ी में शान्ति, व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने'' की अपील की और सदन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया ताकि सदस्यगण लोगों में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन-क्षेत्रों में जा सकें।[230]

उपसभापति द्वारा विजय दिवस—बांग्लादेश का 25वां मुक्ति दिवस—के सम्बन्ध में एक घोषणा की गई।[231]

सभापति ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में उल्लेख किया।[232]

सभापति ने 26 नवम्बर, 1999 को भारतीय संविधान के पचास वर्ष पूरा होने के संबंध में उल्लेख किया।[233]

उपसभापति ने 8 मार्च, 2000 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्बन्ध में उल्लेख किया। तत्पश्चात् यह एक नियमित प्रक्रिया बन गई है।[234]

सभापति ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के संबंध में उल्लेख किया। कारगिल में भारत की विजय की पहली वर्षगांठ के संबंध में भी उल्लेख किया गया।[235]

सभापति ने 13 मई, 2002 को राज्य सभा की पचासवीं वर्षगांठ के संबंध में उल्लेख किया।[236]

(छ) त्रासद घटनाओं का उल्लेख

देश में या विदेश में हुई त्रासद घटनाओं और उनके कारण हुई जान-माल की क्षति का सदन में उल्लेख करने की प्रथा है। बड़ी रेल दुर्घटनाओं,[237] विमान दुर्घटनाओं,[238] भूकम्प और अन्य त्रासद घटनाओं अथवा प्राकृतिक विपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के प्रति सभापति द्वारा सदन की ओर से सहानुभूति, दु:ख और शोक व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित त्रासद घटनाओं का सदन में उल्लेख किया गया है:

पठानकोट सैनिक क्षेत्र में गोला-बारूद के पैकेजों में विस्फोट;[239] भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटनाएं;[240] भिलाई इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटनाएं;[241] अहमदाबाद का भीषण अग्निकांड और उसमें अनेक व्यक्तियों की मृत्यु;[242] 1986 में पंजाब में हुई हत्याएं (हत्याओं की निंदा करने के लिए सभापति द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संकल्प को सदन ने पारित किया);[243] 1987 में पंजाब में हुई हत्याएं;[244] 1963 में कश्मीर में आया भूकम्प;[245] अगस्त, 1988 में बिहार, पश्चिम बंगाल, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और नेपाल तथा बांग्लादेश में आया भूकम्प;[246] दिसम्बर, 1988 में सोवियत संघ में आया भूकम्प[247] और गुजरात में साबरमती आश्रम के पावन परिसर में हुई हिंसा।[248]

सदन के नेता ने चक्रवात के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर आई विपदा के बारे में एक वक्तव्य दिया और लोगों के मारे जाने पर शोक और दु:ख व्यक्त किया और साथ ही पाकिस्तान की सरकार और जनता के प्रति हार्दिक सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं और उपसभापति ने इन भावनाओं के साथ स्वयं को संबद्ध किया।[249]

कभी-कभी घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सहानुभूति और शोक व्यक्त करने के अलावा ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर मौन धारण किया है। ऐसी घटनाएं इस प्रकार हैं: रेल दुर्घटना;[250] विमान दुर्घटना;[251] 1967 में कोयना में आया भूकम्प;[252] 1970 में गुजरात में आया भूकम्प (सदन ने तीन सदस्यों द्वारा उपस्थित किया गया एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें भूकम्प के शिकार हुए व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई थी।);[253] 1991 में गढ़वाल में आया भूकम्प;[254] 1993 में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ भागों में आया भूकम्प;[255] 1957 में दिल्ली स्थित मल-जल संयंत्र दुर्घटना;[256] 1983 में असम में हुई हत्याएं[257] और 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी।[258]

जिन अन्य घटनाओं के संबंध में सदन ने मौन धारण किया वे इस प्रकार हैं: गाज़ा में इस्राइल द्वारा भारतीय कर्मचारियों पर हमला;[259] 1954 की कुंभ मेला त्रासदी (सदन ने सभापति द्वारा रखा गया शोक प्रस्ताव पारित किया;[260] 1986 की कुंभ मेला त्रासदी;[261] दक्षिण भारत में आए चक्रवात;[262] गुजरात स्थित मोरवी में आई बाढ़;[263] दिल्ली में गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा नामक दो बच्चों का अपहरण और उनकी नृशंस हत्या;[264] पंजाब और हरियाणा में हुई हत्याएं;[265] मुम्बई में हुए बम विस्फोट;[266] उड़ीसा के बारीपदा में 1997 में लगी भीषण आग में भक्तों की मृत्यु;[267] 1997 में मक्का के

निकट मिना में लगी भीषण आग में अनेक भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु;[268] 1997 में ईरान में आये भूकम्प में भारी संख्या और परिमाण में हुई जान-माल की हानि;[269] 1998 में मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) और बालासौर (उड़ीसा) के अनेक गांवों में आया भारी तूफान;[270] 1998 में पंजाब में खन्ना में हुई त्रासदिक रेल दुर्घटना;[271] 1999 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मालवाहक विमान ए एन-32;[272] उत्तरी भारत के अनेक भागों में और विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में आया भूकम्प;[273] उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में आया अति उग्र चक्रवात;[274] कारगिल युद्ध;[275] लगभग हर दूसरे दिन जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या;[276] 2001 में गुजरात के अनेक भागों में आया भीषण भूकम्प;[277] 2001 में अमरनाथ की यात्रा पर गये तीर्थ-यात्रियों की मृत्यु;[278] 2001 में जम्मू व कश्मीर विधान सभा में हुआ बम विस्फोट[279] और 2001 में अमरीका में हुआ आतंकवादी आक्रमण।[280]

जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र में नरवाल बाई-पास के निकट स्थित कासिम नगर में आतंकवादियों द्वारा किये गये कत्लेआम[281] और 6 अगस्त, 2002 को जम्मू व कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा तीर्थयात्रियों की हत्या किये जाने और अनेक लोगों को जख्मी किये जाने के बारे में 196वें सत्र में उल्लेख किये गये।[282] सदन में सभी सदस्यों ने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में खड़े होकर मौन धारण किया। 9 अगस्त, 2002 को उपसभापति ने 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में छेड़े गये 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का उल्लेख किया और उसमें शहीद हुए तथा उसमें भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में सभी सदस्यों ने सदन में खड़े होकर मौन धारण किया।[283]

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने; गांधी नगर के अक्षरधाम मन्दिर पर हुए आतंकवादी आक्रमण और मास्को के एक थिएटर में आतंकवादियों द्वारा लोगों को बंधक बनाये जाने (18.11.2002);[283क] जम्मू में रघुनाथ मन्दिर पर हुए आतंकवादी आक्रमण (25.11.2002);[283ख] अल्जीरिया में आये भूकम्प (21.7.2003);[283ग] तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होकर अरब सागर में गिरना (13.8.2003);[283घ] मुम्बई में एक साथ हुए दो बम विस्फोटों (2.12.2003);[283ङ] और ईरान में बाम में आये भूकम्प (20.1.2004)[283च] के संबंध में भी उल्लेख किये गये।

निम्नलिखित मामलों में सदन दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में स्थगित हो गया:

> सदन गोवा में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा सत्याग्रहियों पर गोली चलाये जाने के कारण आधे घंटे के लिए स्थगित हो गया।[284] कुतुब मीनार में हुई त्रासद घटना में अनेक बच्चों के मारे जाने के कारण सदन दिन-भर के लिए स्थगित हो गया। सदन की अगली बैठक में सभापति ने सदन द्वारा व्यक्त किए गए दु:ख के साथ स्वयं को संबद्ध किया।[285]
>
> 26 अगस्त, 1996 को सदन अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की मृत्यु का उल्लेख करने और मौन धारण करने के पश्चात् मध्याह्न तक स्थगित हुआ।[286] 13 दिसम्बर, 2001 को संसद् पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में सदन को दिवस के लिये स्थगित किया गया।[287]
>
> सदन ने अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी बेंजामिन मोलोइसे को प्राणदंड दिए जाने की निंदा की।[288]

(ज) निर्विरोध स्वीकृत किए गए संकल्प

जैसाकि कहा जा चुका है, शोक संकल्पों के अलावा सदन अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं या विषयों से संबंधित संकल्पों को भी बिना किसी असहमति या वाद-विवाद के स्वीकृत करता है। उन्हें सभापीठ, सदन के नेता, प्रधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री द्वारा उपस्थित किया जाता है। ऐसे संकल्प सदन की सामान्य इच्छा को व्यक्त करते हैं।

(1) सभापीठ द्वारा उपस्थित किए गए संकल्प/प्रस्ताव

महात्मा गांधी को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए;[289] परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में 28 जनवरी, 1985 को दिल्ली में हुए छह राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के अंत में जारी की गई दिल्ली घोषणा का (एक प्रस्ताव द्वारा) स्वागत करने के लिए;[290] 24 अक्तूबर, 1985 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की चालीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में;[291] अमेरिकी सेनाओं द्वारा लीबिया में बम गिराए जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण के अंत में इस कृत्य की निंदा करने के लिए;[292] दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की निंदा करने के लिए;[293] पंजाब में हुई हत्याओं की निंदा करने के लिए;[294] नेल्सन मंडेला की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग करने के लिए;[295] बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के संदर्भ में सौहार्द और सद्भावना बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने और भारत के पंथ-निरपेक्ष स्वरूप और परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए भारतवासियों का उद्बोधन करने के लिए;[296] नेल्सन मंडेला की रिहाई का स्वागत करने के लिए;[297] उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सांप्रदायिक दंगों के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के अंत में राजनैतिक दलों और धार्मिक संगठनों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील करने के लिए;[298] खाड़ी संकट के संदर्भ में युद्ध न करने की अपील करने के लिए;[299] खाड़ी युद्ध को समाप्त करने का आग्रह करने के लिए;[300] डाक्टरों की हड़ताल से संबंधित ध्यानाकर्षण के अंत में डाक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील करने के लिए;[301] कावेरी जल-विवाद को लेकर कर्नाटक में हो रही हिंसा को समाप्त करने की अपील करने के लिए;[302] 'भारत छोड़ो आंदोलन' की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए;[303] पाकिस्तान द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए जाने और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की निंदा करने के लिए;[304] दक्षिण अफ्रीका की नई सरकार के गठन का स्वागत करने के लिए[305] और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में[306] और एलईटी तथा जेईएम के आतंकवादियों द्वारा कालूचक, जम्मू पर हमला।[307] सभापति ने अमरीका द्वारा सम्प्रभु इराक के विरुद्ध गठबंधन बलों की सहायता से सैन्य कार्यवाही किये जाने की निंदा करते हुए 9 अप्रैल, 2003 को एक संकल्प उपस्थित किया जिसमें लड़ाई को तुरंत बंद किये जाने और गठबंधन सेनाओं को वापस बुलाये जाने तथा संयुक्त राष्ट्र को संप्रभु सरकार को संरक्षण प्रदान किये जाने के लिये कहा गया।[307क]

(2) प्रधान मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया प्रस्ताव/संकल्प

पूर्वी बंगाल में हुई घटनाओं के संदर्भ में वहां की जनता को उसके संघर्ष में समर्थन देने के लिए;[308] 'एपल' के सफल प्रक्षेपण के संबंध में[309] और नई दिल्ली में हुए निर्गुट देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने की (एक प्रस्ताव द्वारा) सराहना करने के लिए।[310]

(3) सदन के नेता द्वारा उपस्थित किया गया संकल्प

असम की स्थिति से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में असम में हुई हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए और असम के लोगों से भाईचारे और सहयोग की भावनाओं को सुदृढ़ करने की अपील करने के लिए;[311] कोलम्बो में प्रधान मंत्री पर हुए कायरतापूर्ण हमले के संबंध में भावनाएं व्यक्त करने के लिए;[312] अयोध्या में बाबरी मस्जिद को अपवित्र और ध्वस्त किए जाने की निंदा करने के लिए;[313] अफगानिस्तान में तालिबान के बर्बरतापूर्ण और सभ्यता-विरोधी इरादों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने के लिये[314] और विश्व हिन्दू परिषद् तथा बजरंग दल के लोगों द्वारा उड़ीसा विधान-मण्डल के परिसर पर धावा बोले जाने के संबंध में।[314क]

(4) विपक्ष के नेता द्वारा उपस्थित किया गया प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री पी॰ शिवशंकर ने वहां की घटनाओं पर सभा की चिंता व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा।[315]

(5) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया संकल्प

दक्षिण अफ्रीका के जातीय दंगों से संबंधित एक अल्पकालिक चर्चा के अंत में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की निंदा करने और बेंजामिन मोलोइसे को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करने के लिए सभा की

अनुमति से एक संकल्प उपस्थित किया।[316]

(झ) निवृत्त होने वाले सदस्यों को शुभकामनाएं और नवनिर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों का स्वागत

राज्य सभा के लगभग एक-तिहाई सदस्य अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर हर दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं।[317] प्रथानुसार उन्हें प्रश्न-काल की समाप्ति पर शुभकामना या औपचारिक विदाई दी जाती है। 1986 तक ऐसा सामान्यत: मार्च-अप्रैल के सत्र के समाप्त होने से थोड़ा पहले किया जाता था क्योंकि ऐसे अधिकांश सदस्य हर सम संख्या वाले वर्ष की 2 अप्रैल को निवृत्त होते थे। किंतु सम संख्या वाले वर्ष में 2 अप्रैल के अलावा अलग-अलग तारीखों को सदस्यों के निवृत्त होने के कारण सदस्यों की निवृत्ति का समय सन्निकट होने पर उन्हें सदन में विदाई दी जाती है और ऐसे सदस्य विदाई का उत्तर भी देते हैं।

नवनिर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों के शपथ/प्रतिज्ञान के बाद और उनके द्वारा अपना स्थान ग्रहण करने के बाद सभापति द्वारा सदन की ओर से उनका स्वागत किया जाता है।

(ञ) सत्र की समाप्ति पर विदाई में कहे गए शब्द

प्रथानुसार प्रत्येक सत्र में सदन के अनियत दिन के लिए स्थगित होने के पहले सभापीठ कार्य-संचालन में सहयोग के लिए सदस्यों और दलों के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विदाई में कुछ शब्द कहती है। यह प्रथा 37वें सत्र से शुरू हुई।[318] दलों के उपस्थित नेता/प्रतिनिधि भी सदन के कार्य के संचालन की सराहना करते हुए समुक्तियां करते हैं। तथापि, जब राज्य सभा का 172वां, 175वां, 177वां, 182वां, 186वां और 203वां सत्र अनिश्चित-काल के लिये स्थगित हुआ तो विदाई उद्‌गार प्रकट नहीं किये जा सके।[319] 196वें सत्र के अंत में उपसभापति ने विदाई उद्‌गारों को लिखित रूप में सभा पटल पर रखा था।[320] दो अवसरों पर राज्य सभा के 155वें [321] और 200वें [322] सत्रों के पहले और दूसरे भागों में दो-दो बार विदाई उद्‌गार व्यक्त किये गये।

टिप्पणियां और संदर्भ

1. सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति का कार्यवृत्त, 1.9.1972
2. संसदीय समाचार (2), 10.11.1972
3. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.5.1970, कालम 25 और 28–30
4. -वही- 17.8.1990, कालम 317–26
5. -वही- 20.8.1990, कालम 293–317
6. -वही- 24.1.1980, कालम 16-17
7. कार्यावलि, 29.7.2002,
8. संसदीय समाचार (2), 28.1.1999
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.7.1970, कालम 157–60
10. -वही- 25.11.1954, कालम 1–4
11. -वही- 16.11.1964, कालम 1–4
12. -वही- 8.5.1972, कालम 1-2
13. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.8.1981, कालम 6
14. -वही- 18.7.1989, कालम 1–6

15. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.7.1994, कालम 5-6
16. -वही- 17.7.1986, कालम 4–24
17. -वही- 27.7.1987, कालम 2–20 और 24.4.1995
18. -वही- 12.3.1990, कालम 35 और 13.3.1990, कालम 1-2
19. -वही- 14.3.1961, कालम 2848
20. -वही- 29.4.1969, कालम 358-59, 363 और 462
21. -वही- 21.11.1969, कालम 909 और 922
22. -वही- 23.5.1970, कालम 28–30
23. -वही- 23.11.1977, कालम 188–90
24. -वही- 8.12.1981, कालम 177-78
25. -वही- 13.8.1963, कालम 154; 14.8.1963, कालम 233-34
26. -वही- 27.5.1964, कालम 1, 58, 80; 29.5.1964, कालम 81–108
27. -वही- 27.4.1992 और 28.4.1992
28. संसदीय समाचार (1), 25.7.2001 और 26.7.2001
29. -वही- 29.3.2002 और 20.3.2002
30. -वही- 31.7.1974, कालम 1-2 और 116
31. -वही- 31.1.1985, कालम 170–72
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.3.1992, कालम 1-2
33. -वही- 20.2.1956, कालम 199-200
34. -वही- 1.3.1963, कालम 1369–82
35. -वही- 7.3.1961, कालम 1975–88
36. -वही- 29.5.1964, कालम 81–108
37. -वही- 14.2.1966, कालम 21–40
38. -वही- 5.5.1969, कालम 967–90
39. -वही- 28.2.1977, कालम 3–22
40. -वही- 17.7.1986, कालम 4–24
41. -वही- 27.7.1987, कालम 2–20
42. -वही- 20.11.1967, कालम 113–45
43. -वही- 17.1.1985, कालम 22–68
44. -वही- 3.6.1991, कालम 1–51
45. -वही- 18.7.1989, कालम 1–6
46. -वही- 28.4.1992, कालम 1–22
47. -वही- 29.5.1964, कालम 83; 5.5.1969, कालम 967; 28.2.1977, कालम 5 और 20
48. -वही- 17.1.1985, कालम 22–68; 22.2.1988, कालम 45-46; 3.6.1991, कालम 1–51
49. संसदीय समाचार (1), 20.2.1956, 27.2.1956, 5.3.1959, 7.3.1961, 1.3.1963, 25.11.1963, 29.5.1964, 14.2.1966, 5.5.1969, 20.11.1969, 28.2.1977 और 17.1.1985
50. राज्य सभा वाद-विवाद, 5.5.1969, कालम 967, 990
51. -वही- 25.4.1975, कालम 1–6
52. -वही- 24.6.1980, कालम 1-2; 25.6.1980, कालम 1-2

53. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.10.1982, कालम 1–7
54. -वही- 24.11.1992, कालम 1–7
54क. संसदीय समाचार (1), 15.7.2002
55. -वही- 29.7.2002
56. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.2.1956, कालम 59
57. -वही- 20.11.1967, कालम 113–45
58. -वही- 27.2.1956, कालम 823–26
59. -वही- 8.9.1960, कालम 4103-04
60. -वही- 5.1.1976, कालम 21-22
61. -वही- 23.6.1980, कालम 1-2
62. -वही- 31.7.1985, कालम 143-44
63. -वही- 3.12.1993, कालम 1-2
64. संसदीय समाचार (1), 19.11.1997
65. -वही- 20.2.2001
66. -वही- 24.3.2000
67. -वही- 19.11.2001
68. -वही- 4.3.2002
69. राज्य सभा वाद-विवाद, 9.8.1967, कालम 2900–02
70. सी॰ एस॰ डिबेट्स, 30.11.1953, कालम 712-13
71. -वही- 15.12.1953, कालम 2302-03
72. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.11.1956, कालम 586
73. -वही- 30.11.1956, कालम 1203
74. -वही- 21.5.1957, कालम 871
75. -वही- 19.9.1958, कालम 3898-99
76. -वही- 24.8.1959, कालम 1533
77. -वही- 23.11.1959, कालम 56-57
78. -वही- 8.11.1962, कालम 185-86
79. -वही- 6.8.1962, कालम 186-87
80. -वही- 3.12.1963, कालम 1906-07
81. -वही- 12.2.1968, कालम 32-33
82. -वही- कालम 33
83. -वही- 23.11.1970, कालम 105
84. -वही- 24.6.1971, कालम 1
85. -वही- 13.12.1971, कालम 1
87. -वही- 19.2.1973, कालम 23
88. -वही- 23.7.1973, कालम 4
89. -वही- 19.12.1973, कालम 1
90. -वही- 4.10.1982, कालम 4-5
91. -वही- 18.2.1983, कालम 19–26

92. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.7.1983, कालम 3
93. -वही- 12.5.1986, कालम 139
94. -वही- 6.12.1988, कालम 1-2
95. -वही- 27.3.1989, कालम 1-2
96. -वही- 3.4. 1989, कालम 1-2
97. -वही- 3.6.1991, कालम 51-52
98. -वही- 6.8.1992, कालम 1-2
99. -वही- 27.2.1996
100. संसदीय समाचार (1), 13.2.1995
101. -वही- 30.7.1996
102. -वही- 19.11.1997
103. -वही- 25.3.1998
104. -वही- 23.2.2000
105. -वही- 10.8.2000
106. -वही- 20.11.2000
107. राज्य सभा वाद-विवाद, 8.8.1956, कालम 838-39
108. -वही- 23.1.1980, कालम 21-22
109. -वही- 19.3.1982, कालम 241–46
110. -वही- 21.8.1985, कालम 1-2
111. -वही- 22.2.1988, कालम 62-64
112. -वही- कालम 66-67
113. -वही- 11.8.1986, कालम 2–4
114. -वही- 2.12.1993, कालम 1–5
115. -वही- 30.7.1996, कालम 1–2
116. सी॰ एस॰ डिबेट्स, 16.12.1952, कालम 1958
117. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.8.1961, कालम 1977–80
118. -वही- 14.3.1955, कालम 1795
119. -वही- 22.2.1960, कालम 1373-74
120. -वही- 21.4.1964, कालम 50-51
121. -वही- 21.12.1967, कालम 5088–91
122. -वही- 9.11.1970, कालम 105
123. -वही- 11.11.1970, कालम 95
124. -वही- 13.3.1972, कालम 24-25
125. -वही- 31.7.1972, कालम 154
126. -वही- 31.8.1976, कालम 1-2
127. -वही- 23.1.1980, कालम 19-20
128. -वही- 9.6.1980, कालम 4–6
129. -वही- 18.2.1983, कालम 19–26
130. -वही- 23.2.1984, कालम 24-25

131. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.12.1985, कालम 1
132. -वही- 4.11.1986, कालम 1-2
133. -वही- 18.8.1988, कालम 1-2
134. -वही- 25.7.1994, कालम 1-2
135. -वही- 27.11.1995, कालम 1–6
136. संसदीय समाचार (1), 21.2.1997
137. -वही- 22.2.1999
138. -वही- 21.10.1999
139. -वही- 24.7.2000
140. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.5.1981, कालम 1–12
141. सी॰ एस॰ डिबेट्स, 6.3.1953, कालम 1953–58
142. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.11.1963, कालम 905–08
143. -वही- 13.3.1985, कालम 1–3
144. -वही- 3.3.1986, कालम 1–10
145. -वही- 21.2.1989, कालम 34
146. -वही- 18.7.1989, कालम 1-2
147. -वही- 3.5.1993, कालम 1–4
148. संसदीय समाचार (1), 20.11.2000
149. -वही- 23.7.2000
150. फाइल सं॰ 20/84-टी, 20/85-टी, 20/86-टी, 20/88-टी, 20/89-टी, 20/93-टी, 20/94-टी
151. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.9.1965, कालम 5609-10
152. -वही- 10.8.1970, कालम 174–83
153. -वही- 16.12.1971, कालम 124–26
154. -वही- 5.9.1988, कालम 1–41
155. -वही- 25.11.1988, कालम 1-2
156. -वही- 17.3.1983, कालम 1
157. -वही- 24.12.1969, कालम 5703–05
158. -वही- 1.5.1970, कालम 146
159. -वही- 7.3.1968, कालम 3646–58
160. -वही- 29.4.1993, कालम 221-22
161. -वही- 9.8.1967, कालम 2902 (रजत जयंती); 9.8.1985, कालम 182-83; 10.8.1987, कालम 219–23; 9.8.1988, कालम 1; 9.8.1989, कालम 1; 8.8.1992 (50वीं जयंती) और 9.8.1994
162. -वही- 23.3.1990, कालम 218-19; 23.3.1993, कालम 295, 302–07; और 23.3.1995
163. -वही- 22.7.1969, कालम 344–47
164. -वही- 18.11.1969, कालम 314–39
165. -वही- 21.2.1986, कालम 170–74
166. -वही- 4.11.1986, कालम 207–11
167. -वही- 15.11.1988, कालम 253–79
168. -वही- 18.11.1969, कालम 314–39

169. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.11.1973, कालम 116-17
170. -वही- 28.12.1968, कालम 6035–37; और 21.7.1969, कालम 133
171. -वही- 17.3.1975, कालम 1
172. -वही- 23.7.1980, कालम 133–40
173. -वही- 30.7.1980, कालम 1, 164-65
174. -वही- 20.8.1981, कालम 160–73
175. -वही- 23.4.1984, कालम 141
176. -वही- 10.5.1984, कालम 1-2
177. -वही- 29.3.1985, कालम 330–32
178. -वही- 16.12.1991, कालम 197-98
179. -वही- 4.5.1994, कालम 1-2
180. -वही- 10.5.1994
181. -वही- 28.11.1995, कालम 360
182. -वही- 21.10.1999, पृष्ठ 10–18
183. -वही- 28.2.2001, पृष्ठ 2–4
184. सी॰ एस॰ डिबेट्स, 16.5.1952, कालम 32–34
185. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.5.1957, कालम 2–7
186. -वही- 11.5.1962, कालम 2937–48
187. -वही- 15.6.1962, कालम 1–17
188. -वही- 11.4.1967, कालम 3248–65
189. -वही- 22.5.1967, कालम 107–29
190. -वही- 22.7.1969, कालम 344-45; राज्य सभा वाद-विवाद, 21.7.1969, कालम 149–52 भी **देखिए**
191. -वही- 17.11.1969, कालम 106-07
192. -वही- 31.8.1974, कालम 1–23
193. -वही- 24.1.1980, कालम 3–16
194. -वही- 24.8.1984, कालम 212–35
195. -वही- 18.1.1985, कालम 93–106
196. -वही- 6.11.1987, कालम 4–24
197. -वही- 25.11.1992, कालम 1–25
198. -वही- 26.8.1997, कालम 2–24

198क. संसदीय समाचार (1), 20.11.2002

199. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.2.1973, कालम 1 और 26.2.1974, कालम 1
200. -वही- 10.9.1974, कालम 1
201. -वही- 17.12.1980, कालम 1-2 और 17.12.1981, कालम 1–4
202. -वही- 4.12.1985, कालम 1–6 और 4.12.1986, कालम 1-2
203. -वही- 19.8.1988, कालम 1–3; 17.8.1990, कालम 1 और 20.8.1990, कालम 1
204. -वही- 12.3.1973, कालम 143
205. -वही- 20.8.1985, कालम 310 और 20.8.1987, कालम 1
206. सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति का कार्यवृत्त, 2.5.1977; कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 13.6.1977; राज्य सभा वाद-विवाद, 22.6.1977, कालम 156–69
207. राज्य सभा वाद-विवाद, 12.8.1993, कालम 231-32

208. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.4.1970, कालम 105

209. -वही- 14.11.1977, कालम 102-03

210. -वही- 28.4.1981, कालम 186–202

211. -वही- 31.7.1987, कालम 297–99

212. -वही- 21.2.1994, कालम 1–4

213. -वही- 25.8.1983, कालम 176–80

214. -वही- 18.11.1963, कालम 84–86

215. -वही- 2.4.1976, कालम 75–83

216. -वही- 4.5.1981, कालम 205–07

217. -वही- 26.7.1993, कालम 153–78

218. -वही- 19.11.1997, कालम 1

218क. संसदीय समाचार (1), 18.11.2002

219. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.7.2001, पृष्ठ 5

219क. संसदीय समाचार (1) 18.11.2002

220. राज्य सभा वाद-विवाद, 8.12.1981, कालम 17

221. -वही- 10.12.1958 कालम, 1695-96; 10.12.1969, कालम 3333-34; 10.12.1973, कालम 1-2; 7.12.1988, कालम 1-2

222 . -वही- 14.5.1985, कालम 1-2

223. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.11.1985, कालम 348

224. -वही- 9.12.1987, कालम 251-52

225. -वही- 4.12.1971, कालम 29-30

226. -वही- 6.12.1971, कालम 18-19

227. -वही- 2.12.1985, कालम 262

228. -वही- 6.8.1985, कालम 141; 6.8.1987, कालम 207-08; 9.8.1989, कालम 1; 6.8.1991, कालम 1; 6.8.1992, कालम 1; 9.8.1994, कालम 1-2; और 9.8.1995

229. -वही- 21.03.1990, कालम 180-181

230. -वही- 9.12.1992, कालम 216

231. संसदीय समाचार (1), 16.12.1996

232. -वही- 10.12.1998

233. -वही- 29.11.1999

234. -वही- 8.3.2000

235. -वही- 25.10.1999 और 26.7.2000

236. -वही- 13.5.2002

237. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.9.1956, कालम 3100; 11.2.1958, कालम 32; 8.3.1961, कालम 2126; 20.4.1961, कालम 215; 24.4.1962, कालम 427 और 24.4.1989, कालम 313

238. -वही- 12.9.1963, कालम 3836

239. -वही- 27.2.1958, कालम 1705

240. -वही- 24.8.1959, कालम 1541

241. -वही- 25.2.1960, कालम 1863-64

242. -वही- 8.12.1981, कालम 171–76

243. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.12.1986, कालम 1–12
244. -वही- 20.8.1987, कालम 264–77
245. -वही- 3.9.1963, कालम 2594
246. -वही- 22.8.1988, कालम 2
247. -वही- 16.12.1988, कालम 2
248. संसदीय समाचार (1), 15.4.2002
249. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.11.1970, कालम 116–18
250. सी॰ एस॰ डिबेट्स, 20.5.1952, कालम 177-78; राज्य सभा वाद-विवाद, 29.9.1954, कालम 3901; 26.11.1956, कालम 625; 7.8.1986, कालम 269; 21.8.1995 (पुरुषोत्तम एक्सप्रेस रेल दुर्घटना पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल निलंबित किया गया)
251. राज्य सभा वाद-विवाद, 12.9.1963; 22.11.1963, कालम 993-94; 14.11.1977, कालम 102-03; 23.7.1985, कालम 3-4
252. -वही- 12.12.1967, कालम 3567
253. -वही- 24.3.1970, कालम 121–37
254. -वही- 20.11.1991, कालम 3–5
255. -वही- 2.12.1993, कालम 6
256. -वही- 27.5.1957, कालम 1739–41
257. -वही- 21.2.1983, कालम 2
258. -वही- 18.1.1985, कालम 192
259. -वही- 7.6.1967, कालम 2665; 9.6.1967, कालम 3222
260. -वही- 15.2.1954, कालम 20
261. -वही- 21.4.1986, कालम 2-3
262. -वही- 21.11.1977, कालम 188
263. -वही- 20.8.1979, कालम 1
264. -वही- 30.8.1978, कालम 76
265. -वही- 24.2.1984, कालम 1
266. -वही- 15.3.1993, कालम 1–5
267. संसदीय समाचार (1), 24.2.1997
268. -वही- 21.4.1997
269. -वही- 12.5.1997
270. -वही- 25.3.1998
271. -वही- 30.11.1998
272. -वही- 8.3.1999
273. -वही- 19.4.1999
274. -वही- 29.11.1999
275. -वही- 25.10.1999
276. -वही- 11.8.2000
277. -वही- 19.2.2001
278. -वही- 23.7.2001
279. -वही- 19.11.2001

280. संसदीय समाचार (1), 19.11.2001
281. -वही- 15.7.2002
282. -वही- 7.8.2002
283. -वही- 9.8.2002
283क. -वही- 18.11.2002
283ख. -वही- 25.11.2002
283ग. -वही- 21.7.2003
283घ. -वही- 13.8.2003
283ङ -वही- 2.12.2003
283च. -वही- 30.1.2004
284. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.8.1955, कालम 51–54
285. -वही- 4.12.1981, कालम 276; 7.12.1981, कालम 183-84
286. संसदीय समाचार(1), 26.8.1996
287. -वही- 14.12.2001
288. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.11.1985, कालम 347-48
289. -वही- 24.12.1969, कालम 5703–05
290. -वही- 30.1.1985, कालम 232-33
291. -वही- 29.8.1985, कालम 1–4
292. -वही- 24.4.1986, कालम 223-24
293. -वही- 8.8.1986, कालम 118–220
294. -वही- 1.12.1986, कालम 1–12
295. -वही- 11.8.1988, कालम 124-25
296. -वही- 12.10.1989, कालम 317-18
297. -वही- 14.3.1990, कालम 327-28
298. -वही- 5.10.1990, कालम 178
299. -वही- 11.1.1991, कालम 105-06
300. -वही- 22.2.1991, कालम 294–96
301. -वही- 27.11.1991, कालम 299-300
302. -वही- 16.12.1991, कालम 197
303. -वही- 8.8.1992, कालम 1-2
304. -वही- 22.2.1994, कालम 281–83
305. -वही- 10.5.1994
306. -वही- 22.12.1994, कालम 260-261
307. संसदीय समाचार (1), 17.5.2002
307क. -वही- 9.4.2003
308. राज्य सभा वाद-विवाद, 31.3.1971, कालम 123-24
309. -वही-20.8.1981, कालम 160–73
310. -वही- 24.3.1983, कालम 367–70
311. -वही- 22.2.1983, कालम 392–94
312. -वही- 31.7.1987, कालम 297–99

313. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.12.1992, कालम 1048–50

314. संसदीय समाचार (1), 2.3.2001

314क. -वही- 18.3.2002

315. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.3.1990, कालम 365; 15.3.1990, कालम 274-75

316. -वही- 20.8.1985, कालम 359–62

317. अनुच्छेद 83(1)

318. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.3.1962, कालम 1982

319. संसदीय समाचार (1), 23.12.1994, 22.12.1995, 30.5.1996, 1.12.1997 और 23.4.1999

320. -वही- 12.8.2002

321. -वही- 7.9.1990 और 5.10.1990

322. -वही- 23.12.2003 और 5.2.2004